१

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सं0सं0–13/मुक0–08–07/2025 ..../ 1329 पटना, दिनांक– 24/03/25

तार्किक आदेश

श्री रामावतार नायक (आई0डी0–जे0 4927), तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल द्वारा अपने सेवा के 30 वर्ष पूर्ण होने पर रूपांतरित सुनिश्चित उन्नयन योजना 2010 के प्रवधानों के आलोक में तृतीय एम0ए0सी0पी0 प्राप्त नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5385/2020 रामावतार नायक बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया था। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.04.2024 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"2. The present writ application has been filed for seeking direction to the respondent for grant of third A.C.P. of the petitioner and in this regard, the petitioner's representation (Annexure-4) is pending before the authority, Deputy Secretary, Water Resource Department, Patna.

3. Learned counsel for the State submits that since, petitioner's representation is pending and no counter-affidavit has come, as such this case may be disposed of directing the petitioner to file his fresh representation before the authority.

4. In this background, the present writ application is disposed of directing the petitioner to file his representation before respondent no. 3 within four weeks from today for his grievances and respondent no. 3 is directed to pass reasoned and speaking order within 90 days thereafter. Since, the election is going on, therefore, the said 90 days shall be counted from the date of end of the election."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश के अनुपालन में वादी श्री रामावतार नायक द्वारा उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना को संबोधित अभ्यावेदन पत्रांक– शुन्य दिनांक 13.09.2024 के माध्यम से विभाग में समर्पित करते हुए अपने तृतीय एम0ए0सी0पी0 को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

वादी श्री नायक से प्राप्त अभ्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर वस्तु–स्थिति निम्नवत् है :–

1. श्री रामावतार नायक जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता (असै0) के पद पर दिनांक– 05.02.1979 को नियुक्त हुए थे तथा दिनांक– 31.07.2010 को सहायक अभियंता (असै0) के पद से सेवानिवृत हुए थे।
2. श्री नायक की 30 वर्षों की सेवा दिनांक– 05.02.2009 को पूर्ण हुई।
3. एम0ए0सी0पी0 नियमावली 2010 दिनांक– 01.01.2009 से प्रभावी है।
4. दिनांक 09.05.2019 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अन्य कनीय अभियंताओं के साथ श्री रामावतार नायक को तृतीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदत किये जाने निमित

कृ0पृ0उ0

इनके नाम को भी विचारण सूची में रखा गया था। उक्त बैठक में श्री नायक का संगत वर्षों की **चारित्री बेंचमार्क के अनुरूप नहीं रहने के कारण** इन्हें तृतीय एम0ए0सी0पी0 के अंतर्गत वेतन बैंड–03+ग्रेड पे–7600 का लाभ प्रदत करने निमित स्क्रीनिंग समिति द्वारा **"अयोग्य"** अनुशंसित किया गया।

5. उल्लेखनीय है कि श्री नायक की 30 वर्ष की सेवा दिनांक– 05.02.2009 को पूर्ण होती है। इस प्रकार इन्हें तृतीय एम0ए0सी0पी0 दिनांक– 05.02.2009 के प्रभाव से देय होता है। वित्त विभाग के संकल्प सं0–7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा निर्गत एम0ए0सी0पी0 नियमावली, 2010 के परिशिष्ट–I के कंडिका–16 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि **"योग्यता के अध्याधीन, वित्तीय उत्क्रमण वेतन बैण्ड–1 के अंतर्गत ग्रेड वेतन के सोपान में गैर कार्यात्मक (नन फंक्सनल) होगा। तत्पश्चात्, रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उत्क्रमण के लिए वेतन बैण्ड–3 के ग्रेड वेतन–6600 रू0 तक बेंचमार्क (अच्छा) लागू होगा। 7600 रू0 तथा उपर के ग्रेड वेतन तक के वित्तीय उत्क्रमण के लिए बेंचमार्क (बहुत अच्छा) लागू होगा।"** उक्त प्रावधान के आलोक में श्री नायक को दिनांक 05.02.2009 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने हेतु चारित्री वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक की अवधि में कम से कम 36 माह की चारित्री सारांश का बेंचमार्क **बहुत अच्छा** होना आवश्यक है। श्री नायक के आलेखित वर्षों की चारित्री/विशेष चारित्री के अवलोकन से उक्त चारित्री सारांश वाँछित बेंचमार्क के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

6. इस प्रकार वित्त विभाग का संकल्प सं0– 7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री नायक का तृतीय एम0ए0सी0पी0 (वेतन बैंड–03+ग्रेड पे–7600) का दावा नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। स्पष्टः स्क्रीनिंग समिति द्वारा श्री नायक के एम0ए0सी0पी0 के संदर्भ में दिनांक 09.05.2019 की बैठक में की गयी अनुशंसा नियमानुकूल है।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त श्री रामावतार नायक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक– 12.09.2024 जो कि तृतीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के अनुरोध से संबंधित है, को वर्णित तथ्यों के दृष्टिपथ अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

20/3/2025

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक– 1329 /पटना, दिनांक– 24/03/25

निबंधित

प्रतिलिपि–श्री रामावतार नायक, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्राम+ पो0–निर्मली, भाया निर्मली, वार्ड नं0–03, जिला–सुपौल, पिन–847452 (मो0–9934838105) को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/2025

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक – 1329 /पटना, दिनांक – 24/03/25

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/3/2025

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।